

172

172



# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : f65cbd8ae45652a1b69e

Receipt Date : 08-Feb-2023 04:59:40 pm

Receipt Amount : 17360/-

Amount In Words : Seventeen Thousands Three Hundred And Sixty Rupees Only

Token Number : 202300016530

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : NISHA SURIN ( Vende )

GRN Number : 2315669821



*15.2.23*

< For Office Use >




*24.2.23*

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

*उपरोक्त किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से  
पक में लिखी प्रकृत की सेवा नहीं ली गई है।*

*Nisha surin  
24/02/2023*

सुदर्शन सोरेण



मूल पहचान पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

Fee Paid 13020/ A1 Land Lord Fee 06/ Process Fee 01/

Valuation Per Decimals Land 62000/

Handwritten signature and name

Handwritten note: सुदर्शन सोरेण 8/4/23

विक्रय सम्पत्ति प्रतिबन्धित भूमि की सूची से अन्तर्गत नहीं है। (अपराध नॉन क्रिमिनल)

विक्रय-पत्र

(परमीशन वाद संख्या 183/2022-23 आदेश दिनांक 31.01.2023 CNT.46 Act के तहत)

(1) लेख्यकारी :- श्री सुदर्शन सोरेण उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 प्यारा सोरेण दादा स्व0 आमुश खडिया श्रेणी S.T. (C.N.T. Act 1908 के अन्तर्गत है) पेशा कृषि साकिन मौजा सिमडेगा बुधराटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा राज्य झारखण्ड राष्ट्रीयता भारतीय M.No. 9771104989 UID No. XXXX XXXX 4924

शपथ-पत्र संख्या 108/2023 / 2023

(2) लेख्यधारिणी :- सुश्री निशा सुरीन उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 मनोहर सुरीन दादा आनन्द मसीह मुण्डा श्रेणी S.T. (C.N.T. Act 1908 के अन्तर्गत है) पेशा नौकरी साकिन मौजा सिमडेगा बाजारटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा राज्य झारखण्ड राष्ट्रीयता भारतीय M.No 8409576877 UID No. XXXX XXXX 9486

शपथ-पत्र संख्या 109/2023 / 2023

(3) लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक आल औलाद हमेशा के लिए।

मूल पहचान पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

मार्ग दारिका पंजी से मिलान किया गया।

Handwritten notes on the right side: सुदर्शन सोरेण, निशा सुरीन, सिमडेगा, 8/4/23

(4) मूल्य :- मोवलिंग चार लाख चौतीस हजार रुपये अंके 4,34,000/-रुपये होता है।

(5) सम्पति :- संरचना रहित आवासीय भूमि

क्रं.	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं.	खातानं.	प्लॉट नं.	रकबा
1.	सिमडेगा	सिमडेगा	सिमडेगा	116	41	1937	0.07ए.

एराजियात सात डिसमिल अंके 0.07 एकड़ हकियत रैयती मय दखली खतियानी वाके मौजा सिमडेगा नयगमटोली वार्ड नं० 16 थाना नं० 116 थाना सिमडेगा सब रजिस्ट्री ऑफिस सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा अन्दर खाता नं० 41 (एकतालीस) प्लॉट नं० 1937 (उन्नीस सौ सैंतीस) रकबा 0.07 एकड़ (सात डिसमिल) जमीन का माप

उत्तर की ओर पूरब-पश्चिम 88'

दक्षिण की ओर पूरब-पश्चिम 86'

पूरब की ओर उत्तर-दक्षिण 35½'

पश्चिम की ओर उत्तर-दक्षिण 35½' है। जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- टांड इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता,

दक्षिण :- टांड इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी,

पूरब :- इसी प्लॉट पर रास्ता कच्चा 10' (अन्य पथ),

पश्चिम :-मकान बारी केलोम केरकेट्टा।

कुल एक खाता का एक प्लॉट का टुकड़ा रकबा 0.07 एकड़ सिर्फ। लगान 1.00 रू० प्रति वर्ष अलावे सेस। वर्णित विक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र का आवासीय है। उक्त जमीन पर मकान या पेड़ पौधा नहीं है। उक्त जमीन को पूर्व में किसी व्यक्ति को बिक्री, बंधक, एकरारनामा, लीज या दान नहीं किया गया है। जिसका हॉल्लिडिंग नं० 0160000424000MO है।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण करने के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है और जमीन बिक्री वगैर रूपये प्राप्त करने का और कोई दूसरा

पुरवादा-सॉर्टिंग  
8/2/23

असिम बिडे मॉडर्न सिटी एव. पारस समूह  
जाम - सिमडेगा नं० 41 वी.टी.  
व.टी. रजि. - सिमडेगा  
8/2/23

उपाय नहीं है अतः मैंने लेख्यधारिणी को उपरोक्त वर्णित मेरे हिस्से की जमीन खरीद लेने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया।

(2) चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं इसलिए जमीन बिक्री के पूर्व आवश्यक अनुमति हेतु सी०एन०टी० एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 182/2022-23 श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 31.01.2023 को हुई और मेमो नं० 10 (ii) रेव० दिनांक 31.01.2023 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।

(3) इसलिए अपनी इच्छा से वो मन की स्वस्थता में रह कर ऊपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 3,72,000/-रुपये कई किशतों में नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी श्रीमती रश्मि कन्दुलना के पास बिक्री कर दिया और यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि प्रमाण रहे।

(4) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरे दादा आमुश खड़िया की खरीदगी है। जिसका केवाला संख्या 140, वर्ष 1936 है। बुक नं० 1 भोल्युम नं० 2 पृष्ठ संख्या 241 से 243 है। पंजी -II के पृष्ठ संख्या 57 वोल्युम नं० 1 में मेरे दादा आमुश खड़िया के नाम से जमावंदी कायम होकर ऑनलाईन मालगुजारी रसीद कटता है। मेरे दादा एवं पिताजी के निधन के पश्चात् उपरोक्त वर्णित जमीन का हम भाइयों के मध्य आपसी मौखिक बंटवारा हो चुका है, जो जमीन मैं बेच रहा हूँ, मेरे नीज हिस्से एवं दखल कब्जे की जमीन है। खतियान के अनुसार वर्णित जमीन कायमी है जो जुसाफ खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है। वर्णित जमीन पर मेरा शान्ति पूर्वक दखल कब्जा है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अथवा वारदेन नहीं है। अब से आईन्दे वह जमीन लेख्यधारी का रहा वो रहेगा। अब से उस पर मेरा कोई हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा न ही मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का।

(5) चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान शहन आदि निर्माण करें वो जैसा मन चाहे अपने उपयोग में लावें वो पुत्र-पुत्रादिक तक सुख भोग करें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी सिमडेगा से निश्चित लगान का खास रसीद लिया करें।

उपाय नहीं है अतः मैंने लेख्यधारिणी को उपरोक्त वर्णित मेरे हिस्से की जमीन खरीद लेने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया।

(2) चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं इसलिए जमीन बिक्री के पूर्व आवश्यक अनुमति हेतु सी०एन०टी० एक्ट अन्तर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 183/2022-23 श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 31.01.2023 को हुई और मेमो नं० 11 (ii) रेव० दिनांक 31.01.2023 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।

(3) इसलिए अपनी इच्छा से वो मन की स्वस्थता में रह कर ऊपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 4,34,000/-रूपये कई किशतों में नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी सुश्री निशा सुरीन के पास बिक्री कर दिया और यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि प्रमाण रहे।

(4) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरे दादा आमुश खड़िया की खरीदगी है। जिसका केवाला संख्या 140, बुक नं० 1 भोल्पूम नं० 2 पृष्ठ संख्या 241 से 243 है। पंजी -II के पृष्ठ संख्या 57 वोल्युम नं० 1 में मेरे दादा आमुश खड़िया के नाम से जमावंदी कायम होकर ऑनलाईन मालगुजारी रसीद कटता है। मेरे दादा एवं पिताजी के निधन के पश्चात् उपरोक्त वर्णित जमीन का हम भाइयों के मध्य आपसी मौखिक बंटवारा हो चुका है, जो जमीन मैं बेच रहा हूँ, मेरे नीज हिस्सं एवं दखल कब्जे की जमीन है। खतियान के अनुसार वर्णित जमीन कायमी है जो जुसाफ खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है। वर्णित जमीन पर मेरा शान्ति पूर्वक दखल कब्जा है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अथवा वारदेन नहीं है। अब से आईन्दे वह जमीन लेख्यधारी का रहा वो रहेगा। अब से उस पर मेरा कोई हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा न ही मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का।

(5) चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान शहन आदि निर्माण करें वो जैसा मन चाहे अपने उपयोग में लावें वो पुत्र-पुत्रादिक तक सुख भोग करें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी सिमडेगा से निश्चित लगान का खास रसीद लिया करें।

5/2/23-सुरीन  
8/2/23

3.

उपाय नहीं है अतः मैंने लेख्यधारिणी को उपरोक्त वर्णित मेरे हिस्से की जमीन खरीद लेने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया।

(2) चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं इसलिए जमीन बिक्री के पूर्व आवश्यक अनुमति हेतु सी०एन०टी० एक्ट अन्तर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 182/2022-23 श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 31.01.2023 को हुई और मेमो नं० 10 (ii) रेव० दिनांक 31.01.2023 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।

(3) इसलिए अपनी इच्छा से वो मन की स्वस्थता में रह कर ऊपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 3,72,000/-रूपये कई किशतों में नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी श्रीमती रश्मि कन्दुलना के पास बिक्री कर दिया और यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि प्रमाण रहे।

(4) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरे दादा आमुश खड़िया की खरीदगी है। जिसका केवाला संख्या 140, वर्ष 1936 है। बुक नं० 1 भोल्युम नं० 2 पृष्ठ संख्या 241 से 243 है। पंजी -II के पृष्ठ संख्या 57 वोल्युम नं० 1 में मेरे दादा आमुश खड़िया के नाम से जमावंदी कायम होकर ऑनलाईन मालगुजारी रसीद कटता है। मेरे दादा एवं पिताजी के निधन के पश्चात् उपरोक्त वर्णित जमीन का हम भाइयों के मध्य आपसी मौखिक बंटवारा हो चुका है, जो जमीन मैं बेच रहा हूँ, मेरे नीज हिस्से एवं दखल कब्जे की जमीन है। खतियान के अनुसार वर्णित जमीन कायमी है जो जुसाफ खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है। वर्णित जमीन पर मेरा शान्ति पूर्वक दखल कब्जा है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अथवा वारदेन नहीं है। अब से आईन्दे वह जमीन लेख्यधारी का रहा वो रहेगा। अब से उस पर मेरा कोई हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा न ही मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का।

(5) चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान शहन आदि निर्माण करें वो जैसा मन चाहे अपने उपयोग में लावें वो पुत्र-पुत्रादिक तक सुख भोग करें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी सिमडेगा से निश्चित लगान का खास रसीद लिया करें।


4.

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन भू-हदबन्दी, कैंसर-ए-हिन्द, खास महाल, भू-दान, गैरमजरूआ लीज या वन भूमि से संबंधित नहीं है।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - विक्रेता सुसान-सुजित 8/2/23

सुसान-सुजित 8/2/23



कनिष्ठ      अनामिका      मध्यमा      तर्जनी      अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के वामे हाथ का पाँचों अंगुलियों का दाप मेरे समक्ष लिया गया।  
संभव हुआ मेरे  
अधिकृत 8/2/23

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही- क्रेता Nisha Swain




कनिष्ठ      अनामिका      मध्यमा      तर्जनी      अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के वामे हाथ का पाँचों अंगुलियों का दाप मेरे समक्ष लिया गया।  
संभव हुआ मेरे  
अधिकृत 8/2/23

सुदाम कुमार

सही - पहचान कर्ता सुदाम कुमार शौरी  
8/2/23



प्रमाणित किया जाता है कि पहचानकर्ता के  
बाएँ हाथ का पाँचों अंगुलियों का दाप  
मेरे समक्ष लिया गया।

सुदाम कुमार शौरी  
अधिवक्ता  
8/2/23

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप  
तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया  
वो स्वयं भी पढ़ कर दस्तावेज स्वीकार किये।

सही - सुदाम कुमार शौरी  
ता- अधिवक्ता  
8/2/23  
प्रारूप कर्ता



6.

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 6 पृष्ठों में कुल 927 शब्द मुद्रित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है।

मुद्रक -

ह0/- नारायण दास  
24/1/23

( नारायण दास )

कचहरी परिसर,सिमडेगा।

अनुलग्नक :-

1. शेडयुल की मूल प्रति।
2. जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।
3. चारीदगी पट्टा का छाया प्रति।
4. मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
5. खतियान की छाया प्रति।
6. हॉल्लिंग रसीद।
7. विलेज मैप की छाया प्रति।
8. ट्रेश मैप की मूल प्रति।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं प्रमाण की एवं अभिप्रमाणित फोटोयुक्त दस्तावेज के साथ संलग्न किया है जो विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं त्रुटि साजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूंगा।

मुद्रक श्री शं  
24/1/2023

मुद्रक श्री शं  
24/1/23

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्री सुदर्शन सोरेंग

S/O, W/O, D/O स्व० प्यारा सोरेंग

Village: बुधराटोली सिमडेगा

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri/Smt. निशा सुरीन

S/O, W/O, D/O स्व० मनोहर सुरीन

Village: बाजारटोली सिमडेगा

P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated.....31.01.2023

in Rev, C.N.T. case No 183 of 2022-23

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (in acies)	Value for Sale
सिमडेगा नैगमटोली	सिमडेगा	116	41	1937	0.07 एकड़	4,20,000.00

(चार लाख बीस हजार रुपये मात्र)

भूमि की चौहदी

- उत्तर - टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता  
दक्षिण - टांड इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी  
पूरब - इसी प्लॉट पर रास्ता कच्चा 10' (अन्य पथ)  
पश्चिम- मकान बारी केलोम केरकेष्टा

Sd.....

L.R.D.C. Simdega

Memo No.....11.112...../Rev. Dated (Simdega the 31.01.2023.....

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri श्री सुदर्शन सोरेंग

S/O, W/O, D/O स्व० प्यारा सोरेंग

Village: बुधराटोली सिमडेगा

P.S: सिमडेगा


Dist: सिमडेगा

For Information and needful



L.R.D.C. Simdega

31.01.2023



भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में पट्टा एवं लगान रसीद, जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2022/175365 दिनांक 11.05.2022/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे0एच0आर0सी0/2021/401635/दिनांक 23.10.2021 एवं आधार संख्या 5453-8453-4924 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न हैं। क्रेतिका की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2022/224612 दिनांक 29.12.2022/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे0एच0आर0सी0/2021/658911/दिनांक 30.12.2021 एवं आधार संख्या 4117-8935-9486 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न हैं।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा- सलडेगा नैगमटोली, खाता संख्या- 41 प्लॉट संख्या 1937 जिसका रकबा 0.07 एकड़ जमीन को गृह निर्माण हेतु क्रेतिका- सुश्री निशा सुरीन, पिता- स्व0 मनोहर सुरीन, ग्राम बाजारटोली सिमडेगा, थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा को मो0 4,20,000.00 (चार लाख बीस हजार रुपये) मात्र में अपने राजी- खुशी से बिक्री कर रहे हैं। यह हमारी खरीदगी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 4.13 एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति खड़िया एवं मुण्डा जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर कि मौजा- सलडेगा नैगमटोली, खाता संख्या- 41 प्लॉट संख्या 1937 जिसका रकबा 0.07 एकड़ जमीन आवेदक श्री सुदर्शन सोरेंग, पिता स्व0 प्यारा सोरेंग, ग्राम- बुधराटोली सिमडेगा, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा द्वारा क्रेतिका- सुश्री निशा सुरीन, पिता- स्व0 मनोहर सुरीन, ग्राम बाजारटोली सिमडेगा, थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार समसिमाहर्ता  
सिमडेगा ।



भूमि सुधार समसिमाहर्ता  
सिमडेगा ।

पुनश्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार समसिमाहर्ता,  
सिमडेगा।

30/12/22  
66/02/23  
प्रधान लिपिक

31.01.2023